यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-I वा णज्य कर, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-I वा णज्य कर, रूड़की के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28.02.2018 से 09.03.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के.गुप्ता एवं श्री रजनीश शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 19.10.2015 से 03.11.2015 तक श्री ------------ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः रूड़की शहरी क्षेत्र एवं रायपुर इण्डस्ट्रियल एरीया

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	687.58
2015-16	882.39
2016-17	1024.71

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				लागू नहीं		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'B'.()... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-**I** वा णज्य कर, रूड़की को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-**I** वा णज्य कर, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

राजस्वः - **10/2015** एवं 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण व ब्याज की देयता के कारण राजस्व क्षति ₹ 3.71 लाख।

वैट अ धनियम की धारा 4 (2)(ख)(i)(ख) एवं (घ) के अनुसार अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार प्रतिशत तथा कसी भी अनुसूची में वनिर्दिष्ट नहीं है, के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है । पुनः दिनांक 01.04.2010 से अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर तथा कसी भी अनुसूची में वनिर्दिष्ट न होने वाले माल के सम्बन्ध में एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । पुनः यह दरें 28.05.2012 से अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में पांच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत संशो धत की गई ।

(i) कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-प्रथम, वा णज्य कर, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारीसर्वश्री भारत ट्रेडर्स, रूड़की, टिन नं0 05003940456 द्वारा क0नि0 वर्ष 2012-13 में `89,89,603 की नमकीन की बिक्री की गयी थी, इस बिक्री पर ` 4,40,747 कर अदा कया गया था । इस बिक्री में ` 17,46,690 पर (दिनांक 27.05.2012 तक) 4.5% की दर से कर अदा कया गया था ।

आगे, पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यापारी द्वारा सर्वश्री पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स (प्रा0) ल0, काशीपुर से पैक्ड नमकीन क्रय की गयी थी । उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की अनुसूची- II (ख) की प्र वष्टि सं0 109 के अनुसार 28.05.2012 से पूर्व खुली नमकीन पर करदेयता 4.5% की दर से निर्धारित थी । पैक्ड नमकीन कसी अनुसूची में शा मल न होने के कारण 13.5% की दर से करदेयता है ।

अतः दिनांक 27.05.2012 तक पैक्ड नमकीन की बिक्री ` 17,46,690 पर अन्तरीय कर 9% (13.5% - 4.5%) की दर से ` 1,57,202 कर कम अदा कया गया था । इस पर 15% वा र्षक की दर से फरवरी, 2018 तक (दिनांक 01.07.2012 से 28.02.2018) 68 माह का ` 1,33,622 ब्याज बनता है तथा स्वीकृत कर ` 18,500 व ब्याज अवशेष है । इस प्रकार, व्यापारी द्वारा ` 2,90,824 अर्थात् (` 1,57,202 +` 1,33,622) देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा खुली नमकीन का कार्य कया गया है । जिस पर 28 मई, 2012 से पूर्व 4.5% और बाद में 5% की दर से करदेयता है । कर निर्धारण नियमानुसार कया गया है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंक व्यापारी द्वारा दिनांक 28.05.2012 से पूर्व सर्वश्री पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स (प्रा0) ल0, काशीपुर से पैक्ड नमकीन क्रय कर बिक्री की गई थी, जिस पर 13.5% की दर से करदेयता थी ।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा एक अन्य प्रकरण की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री बालाजी सेल्स, रूड़की, टिन नं0 05004135135 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में <u>"संलग्न ववरण"</u> में उल्लिखत `5,19,923/- की फ्रूटी की बिक्री पर 4.5%/5% की दर से कर आरोपत कया गया है, जबक उक्त वस्तुएं अवर्गीकृत श्रेणी में होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपणीय है ।इस प्रकार, फ्रूटी की बिक्री पर अन्तरीय दर अर्थात् 9%/8.5% की दर से `44,193/- कर आरोपत कया जाना है, जिसे आरोपत नहीं कया गया ।इस पर 15% वार्षक की दर से फरवरी, 2018 तक (दिनांक 01.10.2012 से 28.02.2018) 65 माह काब्याज` 35,907 बनता है । इस प्रकार, व्यापारी द्वारा ` 80,100/- (` 44,193 + ` 35,907/-) देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

अतः कर का न्यूनारोपण ` 3,70,924/- (` 2,90,824/- + ` 80,100/-) राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

“संलग्न ववरण”

प्रारूप-**XXVII**

(वक्रय का रजिस्टर)

व्यापारी का नामः- सर्वश्री बालाजी सेल्स, रूड़की ।

कर निर्धारण वर्षः- 2012-13

क्रम सं0	क्रेता व्यौहारी का नाम	वक्रय बीजक का ववरण			माल का वर्ग/ ववरण	माल का मूल्य (`)	आरो पत कर (`) @ **4.5% / 5%**	आरोपणीय कर (`)@ **13.5%**	अन्तर की धनरा श (`)
		दिनांक	संख्या	धनरा श (`)					
1.	Chief Medical Officer, Roorkee	24.4.12	838	2240.15	Frooti	2143.68	96.47	289.39	192.92
2.	Chief Medical Officer, Roorkee	26.4.12	843	1600.10	-do-	1531.20	68.90	206.71	137.81
3.	Chief Medical Officer, Roorkee	26.4.12	845	1995	-do-	1909.10	85.90	257.72	171.82
4.	Chief Medical Officer, Roorkee	6.5.12	855	2240.15	-do-	2143.68	96.47	289.39	192.92
5.	Cash	7.5.12	859	37887.20	-do-	36255.70	1631.50	4894.51	3263.01
6.	Cash	1.4.12	812	33369.98	-do-	31933.00	1436.98	4310.95	2873.97
7.	Cash	4.4.12	817	31146.01	-do-	29804.80	1341.21	4023.64	2682.43
8.	Cash	15.4.12	831	38935.13	-do-	37258.50	1676.63	5029.89	3353.26
9.	C.W. Air Plaza Hoding Ltd. Roorkee	19.4.12	837	24649.56	-do-	23588.10	1061.46	3184.39	2122.93

10.	Cash	11.5.12	872	26487.14	-do-	25346.55	1140.59	3421.78	2281.19
11.	Cash	14.5.12	881	30115.07	-do-	28818.25	1296.82	3890.46	2593.64
12.	Cash	18.5.12	885	37832.76	-do-	36203.60	1629.16	4887.48	3258.32
13.	Cash	19.5.12	886	35992.67	-do-	34442.75	1549.92	4649.77	3099.85
14.	Cash	21.5.12	891	64296.81	-do-	61528.05	2768.76	8306.28	5537.52
15.	Cash	24.5.12	894	65439.92	-do-	62621.94	2817.98	8453.96	6635.98
16.	Cash	26.5.12	899	57524.58	-do-	55047.45	2477.13	7431.40	4954.27
17.	Chief Medical Officer, Roorkee	27.5.12	901	2240.15	-do-	2143.68	96.47	289.39	192.92
18.	Cash	2.6.12	918	19863	-do-	18917.25	945.86	2553.82	1607.96
19.	Chief Medical Officer, Roorkee	12.6.12	939	1600.03	-do-	1523.84	76.19	205.71	129.52
20.	Chief Medical Officer, Roorkee	12.6.12	941	640.00	-do-	609.52	30.48	82.28	51.80
21.	Cash	15.6.12	944	6301.57	-do-	6001.50	300.07	810.20	510.13
22.	Chief Medical Officer, Roorkee	1.7.12	968	2239.98	-do-	2133.32	106.66	287.99	181.00
23.	CMO Civil Hospital, Roorkee	17.7.12	996	2250.86	-do-	2143.68	107.18	289.39	182.21
24.	CMO Civil Hosiptal, Roorkee	27.7.12	10	2250.86	-do-	2143.68	107.18	289.39	182.21
25.	CMO Civil Hospital, Roorkee	9.8.12	30	2250.86	-do-	2143.68	107.18	289.39	182.21
26.	CMO Civil Hospital, Roorkee	4.9.12	70	2250.86	-do-	2143.68	107.18	289.39	182.21

27.	CMO Civil Hospital, Roorkee	15.9.12	97	959.86	-do-	914.16	45.70	123.41	77.71
28.	CMO Civil Hospital, Roorkee	16.9.12	99	2239.69	-do-	2133.04	106.65	287.96	181.31
29.	CMO Civil Hospital, Roorkee	30.09.12	119	2240.05	-do-	2133.39	106.66	288.00	181.34
30.	CMO Civil Hospital, Roorkee	12.10.12	159	2250.86	-do-	2143.68	107.18	289.39	182.21
31.	Chief Medical Officer, Roorkee	1.11.12	191	2239.69	-do-	2133.04	106.65	287.96	181.31
					TOTAL				**47557.89**

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-2 आई0टी0सी0 का अ धक लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 0.14 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार, इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लए पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी जो कर अव ध के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी क इस धारा में वनिर्दिष्ट है, कये गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भुगतान कया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा क वहित की जाये ।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-प्रथम, वा णज्य कर, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री संजय सैनेट्री स्टोर, रूड़की, टिन नं0 05004135135 द्वारा क0नि0 वर्ष 2012-13 में <u>"संलग्न ववरण"</u> में उल्लि खत वस्तुओं की प्रान्तीय खरीद `1,67,483 पर 13.5% की दर से इनपुट टैक्स क्रे डट (आई0टी0सी0) क्लेम कया गया है, जब क उक्त वस्तुओं पर 5% की दर से करदेयता है । इस प्रकार, ` 1,67,483 की प्रान्तीय खरीद पर अन्तरीय दर 8.5% अर्थात् (13.5% - 5%) से ` 14,236 आई0टी0सी0 अनिय मत क्लेम कया गया है । जिसे रिवर्स (reverse) कया जाना अपे क्षत है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा साल्वेन्ट व पी0वी0सी0 फटिंग की खरीद 13.5% की दर से कर अदा करके की गयी थी, इस लए 13.5% की दर से ITC का लाभ लया गया ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की अनुसूची- II (ख) की प्र वष्टि सं0 103 तथा 81 के अनुसार क्रमशः साल्वेन्ट तथा पी0वी0सी फटिंग पर करदेयता 5% की दर से निर्धारित है ।

अतः आई0टी0सी0 का अ धक लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 0.14 लाख का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

“संलग्न ववरण”

व्यापारी का नामः- सर्वश्री संजय सैनेट्री स्टोर, रूड़की

कर निर्धारण वर्षः- 2012-13

Sl. No.	**Name & address of selling dealer**	**Selling dealer TIN No.**	**Invoice No./Date**	**Amount (`)**	**Description of goods**	**U.A. Purchase @ 13.5%**	**Claimed ITC @ 13.5%**	**Admissible ITC @5%**	**Inadmissible ITC**
1.	Paras Agencies, Dehradun	5000594829	Inv. 20336/16.5.12	2104	Solvent	1853.64	250.24	92.68	157.56
2.	Agroha Trade Link, Dehradun	5000803864	Inv. 8013/5.7.12	85279	PVT Fittings	75137.77	10143.30	3756.88	6386.42
3.	Paras Agencies, Dehradun	5000594829	Inv. 20690/11.7.12	1618	Solvent	1425.21	192.40	71.26	121.14
4.	Agroha Trade Link, Dehradun	5000803864	Inv. 8432/28.12.12	-	PVT Fittings	86143.42	11629.36	4307.17	7322.19
5.	Paras Agencies, Dehradun	5000594829	Inv. 20491/01.06.13	-	Solvent	1541.80	208.14	77.09	131.05
6.	Paras Agencies, Dehradun	5000594829	Inv. 21753/12.01.13	-	Solvent	1381.60	186.52	69.08	117.44
					TOTAL	**1,67,483.44**	**22,609.96**	**8,374.16**	**14,235.80**

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-3 कर वलम्ब से जमा करने के कारण ब्याज आरोपित न कया जाना ` 0.21 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार, कर के रूप में निर्धारित धनराश वनिर्दिष्ट रीति से और कर निर्धारण आदेश और मांगपत्र की तामीली के 60 दिन के भीतर जमा न करने पर अधिनियम की धारा 4 के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर वहित समय के भीतर जमा करने में वफल होने पर अदत्त धनराश पर वहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराश के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय असस्टेन्ट कमश्नर (क0नि0) खण्ड-प्रथम, वाणज्य कर, रूड़की के अभिलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री रॉयल पैलेस होटल एंड रेस्टोरेन्ट, टिन - 05007100619 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में कूक्ड फूड की निर्माण कर बिक्री एवं कोल्ड ड्रंक, सोडा, वाइन, बीयर की खरीद बिक्री का था। ब्यापरी द्वारा जमा समस्त कर समायोजन के पश्चात रु.12094.00 मांग शेष था, जिसे ब्यापारी द्वारा दिनाँक 04/11/2015 को जमा कया जो क उल्लिखत नियमानुसार बिलम्ब से जमा कया गया था, पर 15 प्रतिशत साधारण ब्याज आरोपित कर वसूलनीय था। इस प्रकार कुल 36 माह 03 दिन बिलम्ब से कर जमा करने पर रु. 5457.00 ब्याज की गणना कर वसूला जाना था इसी प्रकार सर्वश्री वर्धमान स्पोर्ट्स, टिन 05004191208 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में स्पोर्ट्स गुड्स की खरीद बिक्री का था। ब्यापरी द्वारा जमा समस्त कर समायोजन के पश्चात रु.8276.00 मांग शेष था, जिसे ब्यापारी द्वारा दिनाँक 05/09/2016 को जमा कया गया था, पर भी उकतानुसार ही कुल 47 माह 04 दिन बिलम्ब से कर जमा करने पर रु. 4877.00 ब्याज की गणना कर वसूला जाना था। सर्वश्री पारेख इंटरप्राइज़, टिन 05006686235 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में रॉ-मैटीरियल व केमकल की खरीद बिक्री का था। ब्यापरी द्वारा जमा समस्त कर समायोजन के पश्चात रु.16064.00 मांग शेष था, जिसे ब्यापारी द्वारा दिनाँक 10/01/2017 को जमा कया गया था, पर भी उकतानुसार कुल 51 माह 01 दिन बिलम्ब से कर जमा करने पर रु. 10247.00 ब्याज की गणना कर वसूला जाना था। इस प्रकार बिभाग द्वारा अत्यधक वलम्ब से जमा

कया गया कर पर कुल (5457+ 4877+10247) रु.20734.00 ब्याज की गणना कर जमा नहीं कराया गया। ("ववरण संलग्न")

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

“संलग्न ववरण”

S. no	Name of Dealer	Tin no	Assessment Year	Amount of Tax	Period month & days	Total tax & Date of deposite tax	Intrest date	Total Recoverable Intrest
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
1	M/S Vardhaman Sports, Civil lines Roorkee.	05004194208	2012-2013	8276.00/-	47 months and 05 Days	8276.00/- 05-09-2017	01-10-2012 to 05-09-2016	4879.00/-
2	M/S Parekh interprises, sanjay Gandhi coloneyroorkee.	05006686235	2012-2013	16064.00/-	51 months and 01 day.	16065.00/- 10-01-2017	01-10-2012 to 10-01-2017	10247.00/-
3	M/S Royal Palace hotel and restaurant, Civil lines Roorkee	05007100619	2012-2013	12094.00/-	37 months and 03 days	12094.00/- 04-11-2015	01-10-2012 to 04-11-2015	5608.00
								Total- 20734.00/-

<u>भाग-दो (ख)</u>

प्रस्तर-4 कर एवं ब्याज का अपवंचन `0.25 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 3(1) के अनुसार, कसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गये प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा ।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-प्रथम, वा णज्य कर, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री एम्ब्रो सया ड्रग प्रा0 ल0, रूड़की, टिन नं0 05003911841, कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार व्यापारी द्वारा फूड सप्लीमेन्ट की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार प्रस्तुत की गयीः-

वस्तुओं का नाम	प्रा0 रहतिया	खरीद	बिक्री	स्टॉक ट्रांसफर	अ0 रहतिया	बिक्री में अन्तर (`)
फूड सप्लीमेन्ट 13.5%	64,001.00	5,71,960.00	4,87,052	-	48,909	1,00,000

उपरोक्तानुसार, अन्तरीय बिक्री ` 1,00,000 अर्थात् (` 5,87,052 - `4,87,052) पर 13.5% की दर से ` 13,500 कर आरोपणीय है, जिसे आरो पत नहीं कया गया । इस अपवं चत कर पर मार्च, 2018 तक 66 माह का ब्याज 15% वा र्षक की दर से ` 11,138 बनता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-5 आई0टी0सी0 ` 0.28 लाख का अनिय मत लाभ दिये जाने पर राजस्व क्षति ` 1.14 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार, इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखण्ड राज्य के कसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन व धमान्य पंजीयन प्रमाणपत्र रखता है, से क्रय कये गये माल पर अनुमन्य होगा ।

पुनः अ धनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार, यदि कोई ब्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनरा श का गलत दावा करता है या कसी मथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो कर निर्धारक प्रा धकारी पांच हजार रूपये या दावाकृत धनरा श की तीन गुना धनरा श, जो भी अ धक हो, अर्थदण्ड के रूप में आरो पत करेगा ।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-प्रथम, वा णज्य कर, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री सुरक्षा इण्टरप्राईजेज, रूड़की, टिन नं0 05007028257, कर निर्धारण वर्ष 2012-13द्वारा संगत वर्ष में ` 29,52,291 की खरीद पर ` 1,52,957 आई0टी0सी0 लया गया था । जब क व्यापारी द्वारा दी गयी खरीद सूची में ` 5,49,742.80 की खरीद ऐसी पायी गयी जो अपना TIN अं कत करके ही ` 28,385 आई0टी0सी0 का अनिय मत लाभ लया गया था । उपरोक्त धारा के अनुसार गलत क्लेम की गयी आई0टी0सी0 ` 28,385/- का तीन गुना ` 85,155 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया ।

इस प्रकार, व्यापारी पर ` 1,13,540/- (` 28,385/- + ` 85,155/-) की देयता है । उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
RS-CT-38/2011-12	-	1,2 STAN 01
RS-CT-26/2015-16	-	1,2,3,4,5,6 STAN 01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-I वा णज्य कर, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एस.के. संह	सहायक आयुक्त, राज्य कर (2014 से जुलाई, 16 तक)
2	श्री अन्नत रजनीश	सहायक आयुक्त, राज्य कर (27.08.16 से वर्तमान)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) खण्ड-I वा णज्य कर, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

RS/CT-160/2017-18

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र